न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी पर्वत सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 26/2016

उनवान मुकदमा

1 मनजी पिता वसीया जाति भील निवासी सामरिया तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

वादीगण

बनाम

1 उदिया पिता जीवणा जाति भील निवासी कुण्डला तहसील अबापुरा जिला बांसवाडा(राज)
2 दुदा पिता श्री जीवणा जाति भील निवासी कुण्डला तहसील अंबापुरा जिला बांसवाड़ा
3 पुंजा पिता श्री जीवणा जाति भील निवासी कुण्डला तहसील अबापुरा जिलाबांसवाडा(राज
4 रूपा पिता श्री जीवणा जाति भील नि.कुण्डला तहसील अबापुरा जिला बांसवाडा
5 तहसीलदार तहसील कार्यालय आंबापुरा जिला बांसवाडा
6 भूमि अवाप्ति अधिकारी एन.पी.सी.आई.एल जिला बांसवाडा (राज.)

प्रतिवादीगण

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 04.11.2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है । प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थीयो के पिता वसीया की बहन रंगली थी व रंगली की शादी जीवणा पुत्र बदीया से कराई थी व जीवणा पिता बदिया के कोई संतान नहीं थी व जीवणा पिता बदिया को सर्वे नंबर 462/1 रकबा 8 बीघा वाके ग्रम खांडीयादेव पटवार क्षैत्र ,केसरपुरा तहसील आंबापुरा में कृषि भूमि आवंटन हुई जो दिनांक 22.12.1988 को खातेदारी नामान्तकरण संख्या 120 से दर्ज हुई । अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पिता जीवण व जीवणा का पिता दीपा था,दिनांक 15.11.1979 को ही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पिता को सर्वे नं.459/1 रकबा 8 बीघा वाके ग्रम खाडीयादेव पटवार क्षैत्र केसरपुरा तहसील आंबापुरा में कृषि भूमि आवंटन हुई एवं नामान्तरकरण संख्या 119 दिनांक 22.12.1988 को खातेंदारी में दर्ज हुई। जीवणा पिता बदिया के कोई संतान नही होने की वजह से उाके वारिसान का कोई नामान्तकरण दर्ज नही हुआ व पूर्व में जीवणा पिता दीपा की मृत्यु होने से उनके वारिसान का नामान्तरकरण संख्या 119 दिनांक 22.12.1988 दर्ज अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का नाम दर्ज रेकार्ड किया गया है । सर्वे नंबर 462 /1 रकबा 8 बीघा वाके ग्रम खाडीयादेव पटवार क्षैत्र केसरपुरा तहसील आंबापुरा का भूमि अवाप्ति अधिकारी एन.पी.सी आई.एल अवाप्त का हे ।न्यायालय में वादी व प्रतिवादी अभिभाषक की बहस सुनी गई प्रार्थी के पिता वसीया की बहन रंगली थी व रंगली की शादी जीवणा पुत्र बदिया से कराई थी व जीवणा पिता बदिया के कोई संतान नहीं थी । जीवणा पिता बदिया को दिनांक 15.11.1979 को सर्वे नंबर सर्वे नं.462 /1 रकबा 8 बीघा वाके ग्रम खाडीयादेव पटवार क्षैत्र केसरपुरा तहसील आंबापुरा में कृषि भूमि आवंटन हुई जो दिनांक 22.12.1988 को खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 120 से दर्ज हुई ।वादी की भूमि पर अवार्ड प्रतिवादीयों को हो गया जीवणा पिता बदिया ला औलाद फौत हुआ है ।मनजी पिता वसीया ने दावा इसलिये लगाया की गलत मुआवजा 61 लाख का अप्रार्थी उठा ना ले अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा परमाणु घर हेतु धारा 6 की उद्घोषणा दिनांक 27.08.2013 के द्वारा सर्वे नंबर 462/1 जीवणा पिता बदिया की भूमि रकबा 8 बीघा वाके ग्रम खंडियादेव अवाप्त की गई है एवं जिसका अवाड सं. 1266 रूप्या 61,90,621/– की राशि का बना है अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 जीवणा पिता बदिया जो वास्तव में जीवणा पिता दीपा के पुत्र है के नामान्तरकरण संख्या

284 दिनांक 21.01.2014को विरासत में जीवणा पिता बदिया के वारिसान बताकर सर्वे नंबर 462/1 की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम उक्त अवार्ड की राशि को प्राप्त करने हेतु दर्ज करवाया है । जो अवैध होकर काबीले निरस्ती के है ।पटवार ,गिरदावर ने यह जांच नही की कि दोनो जीवणा अलग–अलग है । अप्रार्थी अपनी स्वंय की भूमि पर अर्वाड ले चुके है । मनजी को अवार्ड मिले या नही मिले ये बाद की बात है । अवार्ड जो 462/1 पर जारी किया जा रहा है उसे रोका जावे । तथा मुझे वादी के पिता वसीया की बहन से वादी ने शादी कीहै , अतः वह वाद लाने का हकदार है । अतः मुझ 462/1 पर खातेदार घोषित किया जाय ।

अप्रार्थी वकील द्वारा बहस में जिसकी खातेदारी है, उसे अवार्ड मिलना चाहिये वसीया की बहन रंगली थी ,रंगली का पति मनजी था । रंगली बहन थी ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी ने नही पेश किया है । तथा बिना हाईकोर्ट के स्टे के यह अवार्ड रूक नही सकता सर्वे नंबर 462/1 डब क्षैत्र का है ,तत्समय ही 1978 में जीवणा पिता बदिया का नाम पर सुचना भूमि अवाप्ति अधिकारी ने जारी की थी ,अतः स्पष्ट है कि जीवणा पिता रूपा नाम का कोई आदमी नही है । जारी अवार्ड प्रतिवादी हक रखते है । तथा 462/1 में प्रतिवादी के मकान बने हुए है । नामान्तरकरण नंबर 284 दिनांक 21.01.2014 विधिवत है,1978 में भी यही विवाद हुआ था ,अगर प्रार्थी खातेदार थे , तो उक्त सर्वे नंबर पर कब्जा क्यो नही किया तथा लाऔलाद संबंधित कोई दस्तावेज पेश क्यो नही किए पी.आई का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे ।

संख्या 1 से 4 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जो उनके पिता के समय से खातेदारी में चली आ रही है एवं 40 वर्षो से अधिक समय से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने पूर्वजो की उक्त भुमि पर खाता व कब्जा काश्त कर रहे है तथा विधि अनुकुल खाता व कब्जा है।ऐसी स्थिति में प्रार्थी का इतने लंबे अंतराल के बाद वाद कानूनन मेन्टेनेबल न होकर काबीज निरस्ती के है अप्रार्थी संख्या 1 से 4 विधि अनुकुल अवार्ड प्राप्त करने के अधिकारी है । प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही निषेध है ऐसी स्थिति में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अवार्ड राशि को रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है । ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा संतुलन एवं असीम क्षति का बिन्दु होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबील निरस्ती के है ।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनने के पश्चात गहनता से मनन किये जाने के पश्चात यह निष्कर्श पाया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने अपने पिता जीवणा पिता दीपा जिसकी मृत्यु पर सर्वे 459/1 के वारिसान के रूप में नामान्तरकरण दर्ज करा लिया व उसका अवार्ड भी पृथक से धारा 4,6,9, के जरिये परमाणु बिजली घर मे उक्त भूमि अवाप्त होने से प्राप्त कर रहे है ।तथा जीवणा पिता बदिया जो कि वास्तव में जीवणा पिता दीपा के पुत्र है । नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 21.01.20147 को विरासत में जीवणा पिता बदिया के वारिसान बताकर सर्वे नं.462/1 की भूमि का नामान्तकरण अपने नाम उक्त अवार्ड राशि को प्राप्त करने हेतु दर्ज करवाया है । जो अवैध होकर काबील निरस्ती का होकर उक्त सर्वे नं 462/1 पर मिलने वाली अवाप्त भूमि की राशि नही उठाने हेतु प्रतिवादीगण 1 से 4 को पाबन्द किये जाने आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रार्थी को किसी भी तरह से क्षती पहुचाने स्वंय या अपने सगे संबंधी मित्रगणो से ऐसा कोई कृत्य नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है ।

यह प्रार्थना पत्र आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एवं हारजी वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 04.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2019.12.04 12:34:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: